निगरानी / टीए/422/ 2024 / जयपुर
धापू देवी बनाम माफी मंदिर श्री सालगराम जी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
22—1—26	**एकल—पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री एन.एस.राजावत, अभिभाषक प्रार्थी । श्री दिनेश कुमार सैन, अभिभाषक अप्रार्थी श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—230 सपठित धारा 221 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा अपील सं. 132/2023 में पारित निर्णय दिनांक 16—1—24 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी आराजी के खसरा में आने जाने हेतु रास्ता दिये जाने का अनुतोष चाहा। उपखंड अधिकारी सांभरलेक ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 5—1—2023 से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के यहां प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील निर्णय दिनांक 16—1—24 के द्वारा खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम व अभिलेख की विपरीत है। प्रार्थीगण ग्राम जूनसिया की आराजी खसरा नंबर 315 व 317/1 के काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया था कि प्रार्थी को खसरा नंबर 308 व 313 में से निकटतम रास्ता दिया जा सकता है क्योंकि प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदार में आने जाने हेतु कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को अनदेखा कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय पारित किया है। राजस्व नक्शें में दिखाया गया डोटेड रास्ता खसरा नंबर 315 व 217 में से दिखाया गया है वह आगे मुख्य मार्ग से नहीं जुडता एवं ना ही मौके पर रास्ता चालू है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	प्रार्थीगण ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष मौके का ऑन लाईन भू नक्शा व गुगल नक्शा प्रस्तुत किया गया था जिसमें कोई डोटेड रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि वर्तमान अप्रार्थी नंबर 1 व 2 की खातेदारी की आराजी है जिनके द्वारा प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने में कोई ऐतराज नहीं जताया गया है। मात्र अप्रार्थी सं.3 से 13 द्वारा आपत्ति उठाई जा रही है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आवागमन हेतु खसरा नंबर 308 एवं 313 में से रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है तथा कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। खसरा नंबर 308 में आने के लिये खसरा नंबर 307/2 रास्ता कटा हुआ है और उक्त रास्ता एमडीआर सडक से लगता हुआ है। परीक्षण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों के विपरीत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र गलत तरीके से खारिज किया था जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर निर्णय पारित किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावे। 4. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये अभिकथन किया कि अप्रार्थी के खेत खसरा में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण विचारण न्यायालय ने प्रकरण में पूर्ण जांच कर तहसील से रिपोर्ट मंगवाई जाकर प्रार्थीगण का रास्ते का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। आवेदन में नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता होनी चाहिए तथा नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध होना चाहिए। आवेदक को अपनी आराजी में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। अप्रार्थीगण द्वेषतापूर्वक उक्त रास्ते की मांग कर रहे है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। 5– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । 6– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखंड अधिकारी सांभरलेक ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिनांक 5–1–2023 से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के यहां प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील निर्णय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	दिनांक 16–1–24 द्वारा खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज करने का आधार यह अंकित किया है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 30.08.22 के अनुसार "प्रार्थीगण के खेतों में डोटेड लाईन का रास्ता नक्शें में दर्ज है जो प्रार्थीगण के खेतों में से गुजरता है। जिसको प्रार्थीगणों ने स्वंय ने बन्द कर रखा है। उक्त रास्तें को खुलवा लिया जावे तो प्रार्थीगण को रास्तें की समस्या ही नहीं रहेगी।" जिस पर स्वयं प्रार्थीगण धापूदेवी व रमेश कुमार के अगूंठा निशानी व हस्ताक्षर है जिसका तात्पर्य है कि प्रार्थीगण मौका रिपोर्ट में अंकित तथ्यों से सहमत है। उनके द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 30.08.22 में अंकित तथ्यों व कथन का कोई खण्डन या उस पर कोई आपति दर्ज नहीं करवाई गई। प्रार्थीगणों के खेतों में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है जिसे स्वयं प्रार्थीगणों ने बन्द कर रखा है। ये स्वंय प्रार्थीगणों का दायित्व है कि वे उपलब्ध रास्तें को चालू रखे तथा प्रार्थीगण उक्त रास्तें को चालू करवाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के यहा चाराजोही करने बाबत् स्वतंत्र है। तहसीलदार व राजस्व कार्मिकों का भी कर्तव्य है कि राजस्व नक्शा में प्रदर्शित डोटेड रास्ता को विधि सम्मत प्रकिया द्वारा खुलवाए व काश्तकारों के उपयोग हेतु चालू रखें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क में स्पष्ट नियम है कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना चाहिए जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण के पास रास्ता उपलब्ध है तथा स्वंय प्रार्थीगण विधिक प्रकिया द्वारा उक्त रास्तें की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते है इसलिए मात्र सुख सुविधा हेतु नवीन रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नहीं है जबकि यह भी महत्वपूर्ण बिन्दू है कि नवीन रास्ता मन्दिर माफी की भूमि में से स्वीकृत किया जाना है। आत्यान्तिक आवश्यकता के बिना मन्दिर माफी की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होना मानते हुये विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण का रास्ते का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् मानते हुये अपने निर्णय में यह अकिंत किया कि उपलब्ध मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण द्वारा संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपीलार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी ख.न. 317/1 व अपीलार्थी संख्या 2 की खातेदारी की आराजी ख. न. 315 में आने–जाने हेतु ख.न. 308 व 313 में ए, बी, सी मार्क रास्ता चाहा गया है जो भूमि माफी मन्दिर के नाम दर्ज रिकार्ड है। नजरी नक्शे में अपीलार्थीगण की आराजी ख.न. 315 व 317/1 में से डोटेड लाईन का रास्ता दर्शाया गया है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण का कहना है कि यह मौके पर चालू नही है। एवं इस सन्दर्भ में रेस्पो. का कथन है कि खसरा नम्बर 317/1 व 315 में पूर्व में एक डोटेड रास्ता ग्राम जुनसिया से इटावा की तरफ जाता है जो खसरा नम्बर 317/1 से 315 के अन्तिम छोर तक जाता है। इसी रास्ते का	

अपीलार्थीगण पूर्व से उपयोग–उपभोग कर रहे है तथा उक्त रास्ते को अपीलार्थीगण द्वारा जानबूझकर बन्द बताया हुआ है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थीगण / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नजरी नक्शे का अवलोकन किया। प्रार्थीगण / अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्पष्ट है एवं नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण / अपीलार्थीगण के पास उनकी आराजीयात में से डोटेड लाईन के रूप में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अपीलार्थीगण द्वारा सुविधा के मुताबिक रास्ता चाहा गया है। अपीलार्थीगण द्वारा जो रास्ता ए से सी चाहा गया है वह किस आम व मूल रास्ते से लिंक होगा, यह भी स्पष्ट नही किया गया है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों का पूर्ण विवेचन करते हुये पारित निर्णय में तथ्यात्मक एवं वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होना मानते हयु प्रार्थीगण की प्रथम अपील खारिज की है।

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 30–8–22 के संलग्न नजरी नक्शे में आराजी ख.न. 315 व 317/1 में से डोटेड लाईन का रास्ता दर्शाया गया है जो मौके पर चालू नही होना प्रस्तुत गुगल मेप एंव ऑनलाई भू नक्शें से भी प्रमाणित होता है। प्रस्तुत ऑनलाईन भू–नक्शा व गूगल मैप में न तो मौके पर वैकल्पिक रास्ता प्रचलित है एवं ना ही कोई डोटेड लाईन है अर्थात मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण के पास उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण ने डोटड रास्ता प्रार्थीगण द्वारा बंद किया जाना अवगत कराया है जबकि मौके पर कोई रास्ता अथवा डोटेड रास्ता होना प्रस्तुत ऑनलाईन भू नक्शा एवं गूगल नक्शें से साबित नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की मंशा यह है कि नया रास्ता केवल तब बनाया जा सकता है जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न हो तथा रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक होनी चाहिये। नया रास्ता स्वीकृत करने के लिये वैकल्पिक रास्ते का अभाव एवं रास्ते की अत्यंत आवश्यकता के बिन्दु को ही देखना होता है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ता खसरा नंबर 308 व 313 में से प्रस्तुत नक्शे में अंकित ए–बी–सी के अनुसार चाहा गया है जो माफी मंदिर की आराजी है। मौका रिपोर्ट दिनांक 30–8–22 के संलग्न नजरी नक्शा ग्राम जूनसिया का अवलोकन किया। उक्त नजरी नक्शें में खसरा नम्बर 317/1 व 315 में पूर्व में एक डोटेड रास्ता ग्राम जुनसिया से इटावा की तरफ अन्तिम छोर तक जाना दर्शाया गया है किंतु वर्तमान भू–नक्शा व गूगल मैप के अनुसार मौके पर उक्त रास्ता चालू नहीं है। ऐसी स्थिति में खसरा नंबर 308, 314 व 315 में से प्रस्तुत नजरी नक्शे में अंकित ए–ई–डी–एफ रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है। मौका रिपोर्ट दिनांक 30–8–2022 में अप्रार्थीगण ने इसी रास्त को निकटतम व लघुतम बताया है। प्रार्थीगण के पास अपने खेत में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता होना प्रस्तुत रिकार्ड से प्रकट नहीं होता तथा प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों के अनुसार प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होना एवं खसरा नंबर 308, 314 व 315 में से प्रस्तुत

नजरी नक्शे में अंकित ए–ई–डी–एफ रास्ता निकटतम एवं लघुतम होना प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखंड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–1–2023 एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–1–24 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य एवं हस्तगत् निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

8– परिणामतः हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखंड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–1–2023 एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–1–24 विधिसम्मत् नहीं होन से खारिज किये जाते है तथा प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 315 व 317/1 में आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट दिनांक 30–8–2022 व संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार खसरा नंबर 308, 314 व 315 में से नजरी नक्शें में अंकित ए–ई–डी–एफ के अनुसार 15 फीट चौडा रास्ता डीएलसी दर की दुगुनी राशि प्रतिकर के रूप में भुगतान के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। उपखंड अधिकारी सांभरलेक डीएलसी की दुगुनी दर से नियमानुसार प्रतिकर निर्धारित कर उसका भुगतान अप्रार्थीगण को दिलाया जाना सुनिश्चित करावे। संबंधित तहसीलदार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य